भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4182
बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>महासागरीय ऊर्जा की अप्रयुक्त क्षमता</u>

4182. श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महासागरीय ऊर्जा अप्रयुक्त क्षमता वाले नवीकरणीय संसाधन के रूप में मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इको वेव पावर ने भारत की तरंग ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए बीपीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा तरंग ऊर्जा को मुख्यधारा ऊर्जा स्रोत के रूप में स्थापित करने तथा तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): जी, हाँ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने क्रेडिट रेटिंग इंफोर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) के सहयोग से दिसम्बर, 2014 में "भारत में ज्वारीय और तरंग ऊर्जा: संभायव्यता और रोडमैप के प्रस्ताव पर सर्वेक्षण" पर एक अध्ययन किया। इस रिपोर्ट के अनुसार, ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा की संभाव्यता का आकलन क्रमशः लगभग 12,455 मेगावाट और 41,300 मेगावाट किया गया है।

(ग) और (घ): जी, हाँ। बीपीसीएस और मैसर्स इको वेव पावर ने नवीकरणीय विद्युत उत्पादन के लिए लहर ऊर्जा के दोहन की संभाव्यता की खोज के लिए एक करार ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह करार मुंबई के पास पहचाने गए स्थलों पर महासागर की तरंगों से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की व्यवहार्यता का आकलन करने का लक्ष्य रखता है।

तरंग ऊर्जा अभी भी अनुसंधान एवं विकास के प्रारंभिक चरण में है। मंत्रालय विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के माध्यम से "नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (आरई-आरटीडी)" को लागू कर रहा है, ताकि स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और निर्माण को विकसित किया जा सके जिससे नई और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ तरंग ऊर्जा के कुशल और लागत-प्रभावी तरीकों से व्यापक अनुप्रयोग संभव हो सके।

*****